1474/19

Renu Shrivastava
Branch Manager

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP00109004727519L
Certificate Issued Date	:	29-Jul-2013 05:10 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01001110673916 4L
Purchased by	:	ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	LAND SITUATED AT VILL HARIHARPUR HASANPUR KHEWALI M N GHUSWAL DEVAMAU N MAHJIGAWAN YUSUF NAGAR LKO
Consideration Price (Rs.)	:	26,07,50,043 (Twenty Six Crore Seven Lakh Fifty Thousand And Forty Three only)
First Party	:	LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Second Party	:	ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Stamp Duty Paid By	:	ANSAL PROPERTIES AND INFRASTRUCTURE LIMITED
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,33,75,000 (Two Crore Thirty Three Lakh Seventy Five Thousand only)

Please write or type below this line

(... तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

LOCKED SRO I
LUCKNOW

Ansal [redacted] ing Ltd.

Authorised Signatory

0000000197

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

मालियत	—	33,38,80,000/
स्टाम्प	·	2,33,75,000/—
परगना	—	बिजनौर

पट्टा– विलेख

यह पट्टा सन् 2013 के जुलाई माह के ...30... वें दिन श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश (जिनको यहां आगे चलकर "पट्टादाता" कहा गया है) प्रथम पक्ष।

तथा

मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० जो कम्पनी एक्ट, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय : 115, अंसल भवन 16, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली – 110001 के जरिये अधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुशील कुमार सक्सेना पुत्र श्री शिवगोपाल सक्सेना निवासी फर्स्ट फ्लोर, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ (जिनको आगे चलकर "पट्टेदार" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

1. चूंकि पट्टेदार एक आवास निर्माण कम्पनी है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, सम्प्रदाय आदि का भेद–भाव किये बिना सभी के लिये आवास निर्माण कर विक्रय किये जाने का है, जिसके निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना है

और चूंकि हाईटेक टाउनशिप नीति विषयक शासनादेश 6087/9–आ–1–2003–34पी०/03 दिनांक 22.11.2003 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास हेतु नीति (जिसे एतत्पश्चात् उक्त नीति कहा गया है) निर्गत की गयी है।

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसरण में इस विलेख की अनुसूची में वर्णित ग्राम–देवानक परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 2.647 (दो दशमलव छः चार सात) हेक्टेयर व ग्राम–मुजफ्फरनगर बगियामऊ परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 13.906 (तेरह दशमलव नौ शून्य छः) हेक्टेयर व ग्राम–निजामपुर मझिगवां परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 9.218 (नौ दशमलव दो एक आठ) हेक्टेयर व ग्राम– मुजफ्फरनगर घुसवल परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 27.805 (सत्ताईस दशमलव आठ शून्य पांच) हेक्टेयर व ग्राम–हसनपुर खेवली परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 9.350 (नौ दशमलव तीन पांच शून्य) हेक्टेयर व ग्राम–हरिहरपुर परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में स्थित 5.479 (पांच दशमलव चार सात नौ) हेक्टेयर इस प्रकार कुल मिलाकर 68.405 (अड़सठ दशमलव चार शून्य पांच) हेक्टेयर, ग्राम समाज की भूमि को, राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1345/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010, 1346/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010, 1340/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010, 1347/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010, 1344/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010 एवं 1343/एक–1/2010–5–1(48)/2006–163 दिनांक 12.07.2010 के अधीन उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1951) की धारा–117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, पुनर्ग्रहीत कर लिया गया है और जो सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गयी है।

(ए०पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
Authorised Signatory

अतः शासनादेश संख्या–प्र०स० 474/एक–1–2008–5–1(48)/2008–79 दिनांक 19.12.2008 द्वारा पट्टेदार के नाम के आगे अभिव्यक्त अधिकारों निर्बन्धनों एवं विभिन्न प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के अधीन उक्त नीति के अनुसार हाईटेक टाउनशिप के विकास के प्रयोजन (जिसे एतद्पश्चात "निर्धारित प्रयोजन" कहा गया है) से पट्टेदार को हस्तान्तरित करने के लिये पट्टादाता सहमत हुये है।

3. अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित गवर्नमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 (सन् 1895 ई० का एक्ट संख्या–15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि नजराना रू0–26,02,37,002/– (छब्बीस करोड़ दो लाख सैंतीस हजार दो रूपये) मात्र व मालगुजारी का 150 गुना रू0–5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) मात्र की धनराशि जो भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ की मुख्य शाखा में क्रमशः चालान सं0–जी0–100065, जी0–100057, जी0–100058, जी0–100066, जी0–090047, जी0–100060, जी0–100062, जी0–100067, जी0–100059, जी0–100064, जी0–100056, जी0–100063, जी0 100055 क्रमशः दिनांक 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 22.09.12, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10 के माध्यम से विकासकर्ता/पट्टेदार द्वारा जमा कर दिया गया है, नाम के प्रीमियम (जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतदद्वारा स्वीकार करता है) तथा आगे आरक्षित वार्षिक किराया रू0–5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) मात्र के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतदद्वारा वह सब भूखण्ड, जिनका विवरण इसकी अनुसूची में दिया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे आगे उक्त "भूमि" कहा जायेगा), पट्टेदार को सन् 2013 ई0 के जुलाई माह के 29 वें दिन से 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर निम्न शर्तों पर हस्तांतरित करते हैं। इस आधिपत्य के उपलक्ष्य में उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियों को छोड़कर रू0–5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अंग्रेजी माह जुलाई के पहले सप्ताह में कलेक्टर–लखनऊ के कार्यालय में या पट्टादाता द्वारा समय–समय पर नियत स्थान पर या स्थानों पर भुगतान करेगा।

और पट्टादाता से पट्टेदार निम्न प्रसंविदा करता है :–

1. यह कि पट्टेदार द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा जिसके लिए भूमि दी जा रही है।
2. यह कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर भूमि का पट्टा शासन/प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का अधिकार पट्टादाता को होगा।
3. यह कि पट्टेदार को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने पर वह उसे शासन/प्राधिकरण को वापस कर देगा।
4. यह कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ले लिये जाने अथवा पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे राज्य सरकार को समर्पित किये जाने की स्थिति में पट्टेदार को उक्त भूमि पर निर्मित किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।
5. यह कि पट्टेदार को पट्टे की भूमि बिना कब्जे के राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु उनके पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा। शर्त यह होगी कि पट्टेदार द्वारा शासन को बाजार दर पर पट्टे की भूमि का मूल्य अदा कर दिया गया है।
6. यह कि उक्त भूमि का उपयोग 03 (तीन) वर्ष में निर्धारित प्रयोजन हेतु न किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रश्नगत भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए पट्टे पर दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30–30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा लेकिन पट्टे की सामूहिक अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(एच०पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

8. यह कि पट्टेदार ने वार्षिक किराया रू0 5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) मात्र की दर से रू0 5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रुपये) की धनराशि पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व अर्थात् क्रमशः दिनांक–11.10.10, 11.10.10, 22.09.12, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, 11.10.10, को क्रमशः चालान संख्या जी0 100057, जी0 100058, जी0–090047, जी0 100052, जी0 100059, जी0 100056, जी0–100055 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक, राजकीय व्यावसायिक शाखा, लखनऊ में जमा कर दिया है और पट्टेदार पट्टा के दौरान प्रतिवर्ष माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में या पहले वार्षिक किराया जमा करता रहेगा।
9. यह कि पट्टेदार उक्त वार्षिक किराया अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष जमा करेगा।
10. यह कि पट्टेदार द्वारा वार्षिक किराया समय से न जमा करने अथवा उपरिवर्णित शर्तों में किसी को भंग किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त भूमि का कब्जा राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा ले लिया जायेगा तथा पट्टेदार द्वारा किसी प्रतिकर की मांग नहीं की जायेगी।
11. यह कि पट्टेदार ऐसी प्रत्येक प्रकार की दरों, करों, उद्ग्रहणों तथा निर्धारणों का भुगतान करेगा जो उक्त भूमि या उस पर निर्मित या निर्माण किये जाने वाले भवन अथवा उसके स्वामी या किरायेदार पर उस समय अथवा उसके पश्चात् किसी समय अवधारित, प्रभारित, आरोपित किये जायें।
12. यह कि पट्टादाता की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों को पट्टेदार द्वारा काटा नहीं जायेगा और न दूसरे को काटने दिया जायेगा।
13. यह कि उक्त भूमि विधि के प्रवर्तनवश या किसी अन्य कारण से यहां दी गयी अवधि में हस्तान्तरित हो, पट्टेदार ऐसा हस्तानान्तरण के दिनांक से एक पंचाग मास के भीतर उक्त हस्तान्तरण की सूचना जिलाधिकारी लखनऊ को देगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक अभिहस्तांकन के पक्षों के नाम और पूरे ब्योरे होगें तथा उसका पूरा विवरण और उससे प्रभावित होने वाली सम्पत्ति का विवरण होगा और साथ में प्रत्येक अभिहस्तांकन पत्र, डिक्री या आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य लेख जिसका प्रभाव उस हस्तानान्तरण पर पड़ता हो देगा और उस सूचना के साथ उक्त लेख्य जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय में कम से कम 07 (सात) दिन रहेंगे तथा एतद्द्वारा यह प्रसंविदा की जाती है कि इस शर्त का पालन न किये जाने पर पट्टेदार पर दण्ड स्वरूप रुपये, जैसा कि तत्कालीन समय पर सक्षम अधिकारी/पट्टादाता की ओर से नियत किया जाये मात्र का भुगतान करने का दायित्व होगा।
14. यह कि इस विलेख की अवधि समाप्त होने अथवा उसके पहले ही समाप्त कर दिये जाने पर पट्टेदार उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि को हटाकर भूमि पट्टादाता को बिल्कुल सही अवस्था में दे देगा।
15. पट्टा निष्पादन का व्यय भार संस्था/पट्टेदार द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा संस्था को प्रदान किया जायेगा
16. प्रश्नगत भूमि के हस्तानान्तरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार होगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध है कि विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात एक माह तक भुगतान न होगा चाहे वह विधितः मांगा गया हो या न मांगा गया हो अथवा यदि पट्टे में वर्णित प्रसंविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा तब और ऐसी किसी दशा में पट्टादाता ने भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के अधिकार को छोड़ दिया हो, उक्त भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अध्यासियों को वहां से निकाल सकता है और तब वह हस्तान्तरण बिल्कुल निरस्त हो जायेगा तथा उक्त भूमि पर निर्मित भवनों को हटाने अथवा उसके संबंध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार समाहृत हो जायेंगे।

(एम0 पी0 तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Authorised Signatory

यह कि प्रतिबन्ध है कि ऊपर जो कुछ अंकित है उसके अतिरिक्त पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह इस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाणपत्र पर जो अन्तिम निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।

यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि हस्तान्तरित उक्त भूमि की पट्टादाता को किसी भी समय अपने कार्य के लिए आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि वह पट्टेदार को उक्त भूमि पर उस समय खड़े किसी भवन को हटाने की एक माह की नोटिस दे और यह भी कि उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो माह के भीतर उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले किन्तु शर्त यह है कि यदि पट्टादाता उक्त भूमि पर पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी भवन को क्रय करना चाहे तो पट्टेदार को उस भवन के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा जो राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

और पट्टादाता, पट्टेदार से प्रसंविदा करता है कि यदि पट्टेदार ने इस विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन नही किया है तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर और उसके व्यय से इस पट्टे की उक्त अवधि के समाप्त होने पर और उसके पश्चात समय-समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाये, पट्टेदार के नाम उक्त भूमि का नया पट्टा नवीनीकरण के रूप में 30 (तीस) वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध सदा ही रहेगा कि इस प्रकार नवीकृत अवधियां इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर 90 (नब्बे) वर्ष से अधिक न हों और पट्टादाता कोई ऐसी नवीनीकरण स्वीकार करने के लिये बाध्य नही होगा, सिवाय इसके कि वह ऐसी किराये की दर पर हो जो उक्त भूमि के सम्बन्ध में उस समय दिया जा रहा है अथवा यदि वह पसन्द करे तो ऐसी बढ़ाई हुई दर पर हो जो उस किराये के 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक न हो जो कि नवीनीकरण के ठीक पहले देय था और सिवाय उस किराये की धनराशि जो तदनुसार निर्धारित की जाये और उस अवधि के जो स्वीकार की जाये उक्त भूमि के प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इस विलेख को केवल उन्हीं प्रसंविदाओं, उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों का समावेश होगा जो उस समय लागू होंगें।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसे सब कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो हस्तान्तरित उक्त भूमि के संबंध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय है अथवा भविष्य में देय होगा।

और इस विलेख के दोनो पक्ष अग्रेतर करार करते हैं कि :—

(क) उक्त भूमि को पट्टे पर देने हेतु पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण पर होने वाले व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।

(ख) उक्त भूमि के हस्तान्तरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(ग) उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।

(घ) पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा पट्टेदार को प्रदान किया जायेगा।

4. भूमि का विवरण निम्नवत है:—

क्रम सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा/गाटा सं0	क्षेत्रफल हेक्टेयर	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	देवामऊ	7	0.018	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्देश पर पसरी हुई लखनऊ विकास

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Authorised Signatory

						प्राधिकरण द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु।
2				11	0.464	
3				17	0.403	
4				21	0.018	
5				25	0.014	
6				40	0.020	
7				45	0.069	
8				49	0.010	
9				56	0.009	
10				61	0.015	
11				64	0.006	
12				68	0.012	
13				69	0.032	
14				71	0.013	
15				75	0.026	
16				76	0.011	
17				79	0.011	
18				83	0.010	
19				91	0.057	
20				91	0.057	
21				99	0.017	
22				105	0.183	
23				117	0.087	
24				118	0.013	
25				122	0.187	
26				24/246	0.885	
			कुल योग	26 गाटा	2.647	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	कुसुमनगर उर्फ हरियाखेड़ा	46	2.296	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्देश पर एतदर्थ हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु।
2					75	0.039	उपरोक्तानुसार
3					79	0.008	उपरोक्तानुसार
4					85	0.030	उपरोक्तानुसार
5					90	0.014	उपरोक्तानुसार
6					93	0.005	उपरोक्तानुसार

(ए० पी० त्रिपाठी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

7				98	0.038	उपरोक्तानुसार
8				[illegible]	0.266	उपरोक्तानुसार
9				108	0.033	उपरोक्तानुसार
10				116	0.038	उपरोक्तानुसार
11				121	0.126	उपरोक्तानुसार
12				122	0.014	उपरोक्तानुसार
13				126	0.163	उपरोक्तानुसार
14				129	0.017	उपरोक्तानुसार
15				130	0.040	उपरोक्तानुसार
16				135	0.063	उपरोक्तानुसार
17				139	0.014	उपरोक्तानुसार
18				141	0.041	उपरोक्तानुसार
19				151	0.512	उपरोक्तानुसार
20				156	0.076	उपरोक्तानुसार
21				158	0.019	उपरोक्तानुसार
22				159	0.218	उपरोक्तानुसार
23				162	0.126	उपरोक्तानुसार
24				163	0.076	उपरोक्तानुसार
25				164	0.039	उपरोक्तानुसार
26				167	0.031	उपरोक्तानुसार
27				171	0.190	उपरोक्तानुसार
28				178	0.008	उपरोक्तानुसार
29				182	0.099	उपरोक्तानुसार
30				189	0.126	उपरोक्तानुसार
31				192	0.023	उपरोक्तानुसार
32				215	0.013	उपरोक्तानुसार
33				218	0.231	उपरोक्तानुसार
34				222	0.027	उपरोक्तानुसार
35				224	0.155	उपरोक्तानुसार
37				241	0.075	उपरोक्तानुसार
38				242	0.215	उपरोक्तानुसार
39				245	0.066	उपरोक्तानुसार
40				244	0.139	उपरोक्तानुसार
41				250	0.063	उपरोक्तानुसार
42				252	0.051	उपरोक्तानुसार

[illegible]
सचिव
[illegible]

For Adani Properties Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

43			254	0.152	उपरोक्तानुसार
44			280 ग	1.468	उपरोक्तानुसार
45			281	0.051	उपरोक्तानुसार
46			276	0.025	उपरोक्तानुसार
47			282	0.028	उपरोक्तानुसार
48			285	0.006	उपरोक्तानुसार
49			286	0.013	उपरोक्तानुसार
50			296	0.033	उपरोक्तानुसार
51			297	0.304	उपरोक्तानुसार
52			299	0.114	उपरोक्तानुसार
53			302	0.076	उपरोक्तानुसार
54			303	0.303	उपरोक्तानुसार
55			309	0.253	उपरोक्तानुसार
56			318	0.366	उपरोक्तानुसार
57			325	0.025	उपरोक्तानुसार
58			329	0.940	उपरोक्तानुसार
59			335	0.019	उपरोक्तानुसार
60			337	0.017	उपरोक्तानुसार
61			342	0.190	उपरोक्तानुसार
62			347	0.051	उपरोक्तानुसार
63			360	1.000	
64			361	0.266	उपरोक्तानुसार
65			364	0.017	उपरोक्तानुसार
66			365 ग	0.053	उपरोक्तानुसार
67			365 ख	0.035	उपरोक्तानुसार
68			367	0.126	उपरोक्तानुसार
69			369	0.040	उपरोक्तानुसार
70			370	0.048	उपरोक्तानुसार
71			372	0.405	उपरोक्तानुसार
72			373	0.536	उपरोक्तानुसार
73			374	0.242	उपरोक्तानुसार
74			379	0.062	उपरोक्तानुसार
75			382	0.784	उपरोक्तानुसार
76			186/387	0.005	उपरोक्तानुसार
		कुल योग	75 गाटे	13.906	

Authorised Signatory

1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	निजामपुर मझिगवां	3	0.065	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्देश पर रखी हुई लखनऊ विकास प्राधिकरण [illegible] हेतु
2					7	0.017	उपरोक्तानुसार
3					11	0.024	उपरोक्तानुसार
4					14	0.079	उपरोक्तानुसार
5					20	0.102	उपरोक्तानुसार
6					25	0.017	उपरोक्तानुसार
7					28	0.012	उपरोक्तानुसार
8					32	0.022	उपरोक्तानुसार
9					34	0.051	उपरोक्तानुसार
10					35	0.089	उपरोक्तानुसार
11					36	0.266	उपरोक्तानुसार
12					40	0.029	उपरोक्तानुसार
13					44	0.022	उपरोक्तानुसार
14					45	0.047	उपरोक्तानुसार
15					46	0.017	उपरोक्तानुसार
16					53	0.017	उपरोक्तानुसार
17					56	0.172	उपरोक्तानुसार
18					64	0.177	उपरोक्तानुसार
19					65	0.082	उपरोक्तानुसार
20					69	0.073	उपरोक्तानुसार
21					77	0.023	उपरोक्तानुसार
22					79	0.008	उपरोक्तानुसार
23					81	0.658	उपरोक्तानुसार
24					91	0.022	उपरोक्तानुसार
25					92	0.025	उपरोक्तानुसार
26					93	0.028	उपरोक्तानुसार
27					96	0.013	उपरोक्तानुसार
28					99	0.079	उपरोक्तानुसार
29					101	0.014	उपरोक्तानुसार
30					103	0.253	उपरोक्तानुसार
31					106	0.027	उपरोक्तानुसार
32					109	0.013	उपरोक्तानुसार
33					110	0.936	उपरोक्तानुसार

(एन० के० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

[illegible]

34					112	0.174	उपरोक्तानुसार
35					117	0.023	उपरोक्तानुसार
36					118	0.923	उपरोक्तानुसार
37					120	0.253	उपरोक्तानुसार
38					123 पी	0.588	उपरोक्तानुसार
39					132	0.089	उपरोक्तानुसार
40					135	0.023	उपरोक्तानुसार
41					139	0.190	उपरोक्तानुसार
42					142	0.008	उपरोक्तानुसार
43					146	0.011	उपरोक्तानुसार
44					150 पी	0.076	उपरोक्तानुसार
45					150 पी	0.057	उपरोक्तानुसार
46					157	0.012	उपरोक्तानुसार
47					160	0.020	उपरोक्तानुसार
48					166	0.029	उपरोक्तानुसार
49					169	0.011	उपरोक्तानुसार
50					173	0.040	उपरोक्तानुसार
51					178	0.304	उपरोक्तानुसार
52					183	0.392	उपरोक्तानुसार
53					184	1.049	उपरोक्तानुसार
54					189	0.023	उपरोक्तानुसार
55					191	0.017	उपरोक्तानुसार
56					193	0.102	उपरोक्तानुसार
57					202	0.043	उपरोक्तानुसार
58					223	0.354	उपरोक्तानुसार
59					231	0.010	उपरोक्तानुसार
60					235	0.095	उपरोक्तानुसार
61					252	0.019	उपरोक्तानुसार
62					255	0.102	उपरोक्तानुसार
63					262	0.063	उपरोक्तानुसार
64					264	0.114	उपरोक्तानुसार
65					271	0.072	उपरोक्तानुसार
66					274	0.022	उपरोक्तानुसार
67					275	0.076	उपरोक्तानुसार
68					278	0.042	उपरोक्तानुसार

[illegible] Infrastructure [illegible]

Authorised Signatory

69					292	0.053	उपरोक्तानुसार
70					290	0.063	उपरोक्तानुसार
71					301	0.020	उपरोक्तानुसार
72					326	0.081	उपरोक्तानुसार
73					213/496	0.016	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	73 गाटा	9.218	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	मुजफ्फर नगर गुलनार	5	0.002	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्देश पर चलते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।
2					9	3.642	उपरोक्तानुसार
3					12 स	0.114	उपरोक्तानुसार
4					14	0.190	उपरोक्तानुसार
5					15	0.506	उपरोक्तानुसार
6					25	0.023	उपरोक्तानुसार
7					29	0.025	उपरोक्तानुसार
8					42	0.012	उपरोक्तानुसार
9					43	0.036	उपरोक्तानुसार
10					47	0.036	उपरोक्तानुसार
11					54 स	0.074	उपरोक्तानुसार
12					64 स	0.006	उपरोक्तानुसार
13					58 स	0.696	उपरोक्तानुसार
14					59	0.822	उपरोक्तानुसार
15					60	0.645	उपरोक्तानुसार
16					67	0.008	उपरोक्तानुसार
17					72	0.003	उपरोक्तानुसार
18					77	0.126	उपरोक्तानुसार
19					82	0.051	उपरोक्तानुसार
20					88	0.063	उपरोक्तानुसार
21					93	0.102	उपरोक्तानुसार
22					110	0.036	उपरोक्तानुसार
23					111	0.079	उपरोक्तानुसार
24					119	0.021	उपरोक्तानुसार
25					122	0.011	उपरोक्तानुसार
26					128	0.077	उपरोक्तानुसार
27					129	0.036	उपरोक्तानुसार

(ए० पी० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

28					145	0.042	उपरोक्तानुसार
29					152	0.051	उपरोक्तानुसार
30					153	0.143	उपरोक्तानुसार
31					158	0.017	उपरोक्तानुसार
32					162	0.052	उपरोक्तानुसार
33					163	0.025	उपरोक्तानुसार
34					167	0.029	उपरोक्तानुसार
35					168	0.031	उपरोक्तानुसार
36					174	0.008	उपरोक्तानुसार
37					179	0.164	उपरोक्तानुसार
38					182 ख	0.063	उपरोक्तानुसार
39					187	0.164	उपरोक्तानुसार
40					191	0.033	उपरोक्तानुसार
41					196	0.017	उपरोक्तानुसार
42					201	0.010	उपरोक्तानुसार
43					203	0.063	उपरोक्तानुसार
44					207	0.079	उपरोक्तानुसार
45					209	0.022	उपरोक्तानुसार
46					211	0.038	उपरोक्तानुसार
47					218 स	0.607	उपरोक्तानुसार
48					232	0.607	उपरोक्तानुसार
49					231 ग	0.253	उपरोक्तानुसार
50					241	0.281	उपरोक्तानुसार
51					242	0.032	उपरोक्तानुसार
52					248	0.022	उपरोक्तानुसार
53					254	0.077	उपरोक्तानुसार
54					253	0.004	उपरोक्तानुसार
55					270	0.059	उपरोक्तानुसार
56					272	0.031	उपरोक्तानुसार
57					276	0.139	उपरोक्तानुसार
58					277	0.026	उपरोक्तानुसार
59					279	0.076	उपरोक्तानुसार
60					268	0.038	उपरोक्तानुसार
61					280	0.063	उपरोक्तानुसार
62					306	1.085	उपरोक्तानुसार

[illegible]
सचिव
[illegible]

[illegible]
Authorised Signatory

63				309 ब	1.426	उपरोक्तानुसार
64				310 अ	0.964	उपरोक्तानुसार
65				310 ग	0.200	उपरोक्तानुसार
66				319	0.002	उपरोक्तानुसार
67				325	0.014	उपरोक्तानुसार
68				324	0.078	उपरोक्तानुसार
69				332	0.007	उपरोक्तानुसार
70				345	0.006	उपरोक्तानुसार
71				347	0.022	उपरोक्तानुसार
72				349	0.012	उपरोक्तानुसार
73				340	0.006	उपरोक्तानुसार
74				354	0.004	उपरोक्तानुसार
75				362 ग	0.579	उपरोक्तानुसार
76				365	0.038	उपरोक्तानुसार
77				366	0.025	उपरोक्तानुसार
78				371	0.016	उपरोक्तानुसार
79				392	0.012	उपरोक्तानुसार
80				394	0.006	उपरोक्तानुसार
81				396	0.042	उपरोक्तानुसार
82				385	0.010	उपरोक्तानुसार
83				416 अ	2.339	उपरोक्तानुसार
84				417	4.552	उपरोक्तानुसार
85				444 ग	0.022	उपरोक्तानुसार
86				444 अ	0.029	उपरोक्तानुसार
87				448	0.016	उपरोक्तानुसार
88				449	0.010	उपरोक्तानुसार
89				451	0.013	उपरोक्तानुसार
90				453	0.020	उपरोक्तानुसार
91				466	0.582	उपरोक्तानुसार
92				463	0.016	उपरोक्तानुसार
93				467	0.025	उपरोक्तानुसार
94				477	0.013	उपरोक्तानुसार
95				470	0.019	उपरोक्तानुसार
96				479	0.013	उपरोक्तानुसार
97				482	0.013	उपरोक्तानुसार

(ए० के० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

98					481	0.033	उपरोक्तानुसार
99					490	0.023	उपरोक्तानुसार
100					492	0.020	उपरोक्तानुसार
101					489	0.347	उपरोक्तानुसार
102					527	0.033	उपरोक्तानुसार
103					511	0.051	उपरोक्तानुसार
104					517	0.018	उपरोक्तानुसार
105					516	0.018	उपरोक्तानुसार
106					523	0.017	उपरोक्तानुसार
107					527	0.035	उपरोक्तानुसार
108					522	0.036	उपरोक्तानुसार
109					583	0.027	उपरोक्तानुसार
110					540	0.004	उपरोक्तानुसार
111					541	0.026	उपरोक्तानुसार
112					646	0.916	उपरोक्तानुसार
113					546	0.076	उपरोक्तानुसार
114					551	0.010	उपरोक्तानुसार
115					554	0.013	उपरोक्तानुसार
116					557	0.038	उपरोक्तानुसार
117					559	0.430	उपरोक्तानुसार
118					561	0.092	उपरोक्तानुसार
119					562	0.089	उपरोक्तानुसार
120					564 क	0.114	उपरोक्तानुसार
121					582	0.063	उपरोक्तानुसार
122					562 ग	0.062	उपरोक्तानुसार
123					564 ख	0.253	उपरोक्तानुसार
124					583	0.104	उपरोक्तानुसार
125					590	0.040	उपरोक्तानुसार
126					597	0.025	उपरोक्तानुसार
127					602	1.417	उपरोक्तानुसार
128					606	0.304	उपरोक्तानुसार
129					602/641	0.006	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	129 गाटा	27.805	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	हसनपुर खेवली	18	0.020	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्देश पर उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा [illegible]

(ए० के० तिवारी)
सचिव
[illegible] प्राधिकरण

For [illegible] Properties & Infrastructure Ltd
Authorised Signatory

							हेतु।
2					58 गो	0.050	उपरोक्तानुसार
3					60	0.035	उपरोक्तानुसार
4					62	0.925	उपरोक्तानुसार
5					67	0.316	उपरोक्तानुसार
6					68	0.443	उपरोक्तानुसार
7					69	0.139	उपरोक्तानुसार
8					81	0.392	उपरोक्तानुसार
9					82	0.038	उपरोक्तानुसार
10					83	0.557	उपरोक्तानुसार
11					98	0.253	उपरोक्तानुसार
12					100	0.114	उपरोक्तानुसार
13					102	0.032	उपरोक्तानुसार
14					111	0.052	उपरोक्तानुसार
15					118	0.012	उपरोक्तानुसार
16					124	0.139	उपरोक्तानुसार
17					125	0.152	उपरोक्तानुसार
18					136	0.021	उपरोक्तानुसार
19					141	0.025	उपरोक्तानुसार
20					142	0.582	उपरोक्तानुसार
21					146	0.493	उपरोक्तानुसार
22					149	0.021	उपरोक्तानुसार
23					152	0.017	उपरोक्तानुसार
24					188	0.487	उपरोक्तानुसार
25					201	0.029	उपरोक्तानुसार
26					203	0.013	उपरोक्तानुसार
27					208	0.253	उपरोक्तानुसार
28					2[illegible]2	0.559	उपरोक्तानुसार
29					2[illegible]6	0.200	उपरोक्तानुसार
30					240	0.607	उपरोक्तानुसार
31					241	0.126	उपरोक्तानुसार
32					242	0.139	उपरोक्तानुसार
33					248	0.038	उपरोक्तानुसार
34					251	0.025	उपरोक्तानुसार
35					254	0.177	उपरोक्तानुसार

(ए० के० तिवारी)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
Authorised Signatory

36					257	0.126	उपरोक्तानुसार
37					270	0.204	उपरोक्तानुसार
38					271	0.316	उपरोक्तानुसार
39					273 पी	0.748	उपरोक्तानुसार
40					274	0.455	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	40 गाटा	**9.350**	
1	लखनऊ	लखनऊ	बिजनौर	हरिहरपुर	512	0.999	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्णय पर चलते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हाईटेक टाउनशिप हेतु।
2					518 पी	0.506	उपरोक्तानुसार
3					514	0.177	उपरोक्तानुसार
4					515	0.170	उपरोक्तानुसार
5					519	0.063	उपरोक्तानुसार
6					520	0.417	उपरोक्तानुसार
7					522 पी	0.108	उपरोक्तानुसार
8					523 पी	0.304	उपरोक्तानुसार
9					525	0.044	उपरोक्तानुसार
10					526	0.028	उपरोक्तानुसार
11					528	0.453	उपरोक्तानुसार
12					540	0.114	उपरोक्तानुसार
13					564	0.096	उपरोक्तानुसार
14					576	0.379	उपरोक्तानुसार
15					581	0.031	उपरोक्तानुसार
16					595 पी	0.253	उपरोक्तानुसार
17					599	0.089	उपरोक्तानुसार
18					611	0.246	उपरोक्तानुसार
19					615	1.000	उपरोक्तानुसार
				कुल योग	19 गाटा	5.479	

यह कि इस विलेख के माध्यम से पट्टे पर दी जा रही भूमि में से क्षेत्रफल 25.771 हेक्टेयर, ग्राम–देवामऊ व ग्राम युसुफनगर बगियामऊ व ग्राम–निजामपुर मझिगंवा परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार अर्द्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रू0 35,00,000/– प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रू0 9,01,98,500/– होता है तथा ग्राम मुजफ्फरनगर घुसवल व ग्राम–हसनापुर खेवली परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 37.155 हेक्टेयर है तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार उक्त ग्राम अर्द्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रू0 56,00,000/– प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रू0–20,80,68,000/– होता है व ग्राम हरिहरपुर परगना–बिजनौर तहसील

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Authorised Signatory

न जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 5.479 हेक्टेयर है तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट लिस्ट के अनुसार अर्द्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत है जिसकी कृषि भूमि की दर रू0–65,00,000/– प्रति हेक्टेयर के अनुसार मूल्यांकन रू0–3,56,13,500/– होता है; इस प्रकार कुल मूल्यांकन रू0–33,38,80,000/– होता है। चूंकि इस विलेख में नजराने की धनराशि रू0 26,02,37,002/– (छब्बीस करोड़ दो लाख सैंतीस हजार दो रूपये) व 1 वर्ष का लीज रेन्ट रू0–5,13,041/– (पांच लाख तेरह हजार इकतालीस रूपये) सहित कुल धनराशि रू0–26,07,50,043/– अदा की गयी है। अतः सर्वोच्च मूल्यांकन रू0–33,38,80,000/– पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से रू0–2,33,71,600/– का स्टाम्प शुल्क देय होता है फलस्वरूप रू0–2,33,75,000/– का स्टाम्प शुल्क पट्टेदार द्वारा ई–स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP00109004727519L के द्वारा अदा कर दिया गया है।

इस पट्टा विलेख के साक्ष्य में पट्टादाता की ओर से एवं उनके द्वारा शासनादेश संख्या–1160(1)/8 3–12–122एल0ए0/09 दिनांक 01.06.2012 के माध्यम से अधिकृत श्री अष्टभुजा तिवारी, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा पट्टेदार की ओर से अधिकृत श्री सुशील कुमार सक्सेना बहैसियत अधिकृत हस्ताक्षरी वास्ते मेसर्स अंसल प्रापर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 ने नीचे उन दोनों के हस्ताक्षर कर दिये है जो उनके हस्ताक्षर के नीचे दी गयी है।

साक्षीगण :

1. ह0 [signature]

नाम समरेन्द्र प्रताप सिंह

पिता का नाम श्री चन्द्र भान प्रताप सिंह

पता 13, राना प्रताप मार्ग, हजरतगंज लखनऊ

2. ह0 [signature]

नाम Birendra Pratap Singh

पिता का नाम Late Sri G. P. Singh

पता 13, Rana Pratap Marg Lucknow

[signature]
(अ0 भु0 तिवारी)
पट्टादाता की ओर से
एवं उनके द्वारा अधिकृत

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
[signature]
Authorised Signatory
पट्टेदार की ओर से
एवं उसके द्वारा अधिकृत

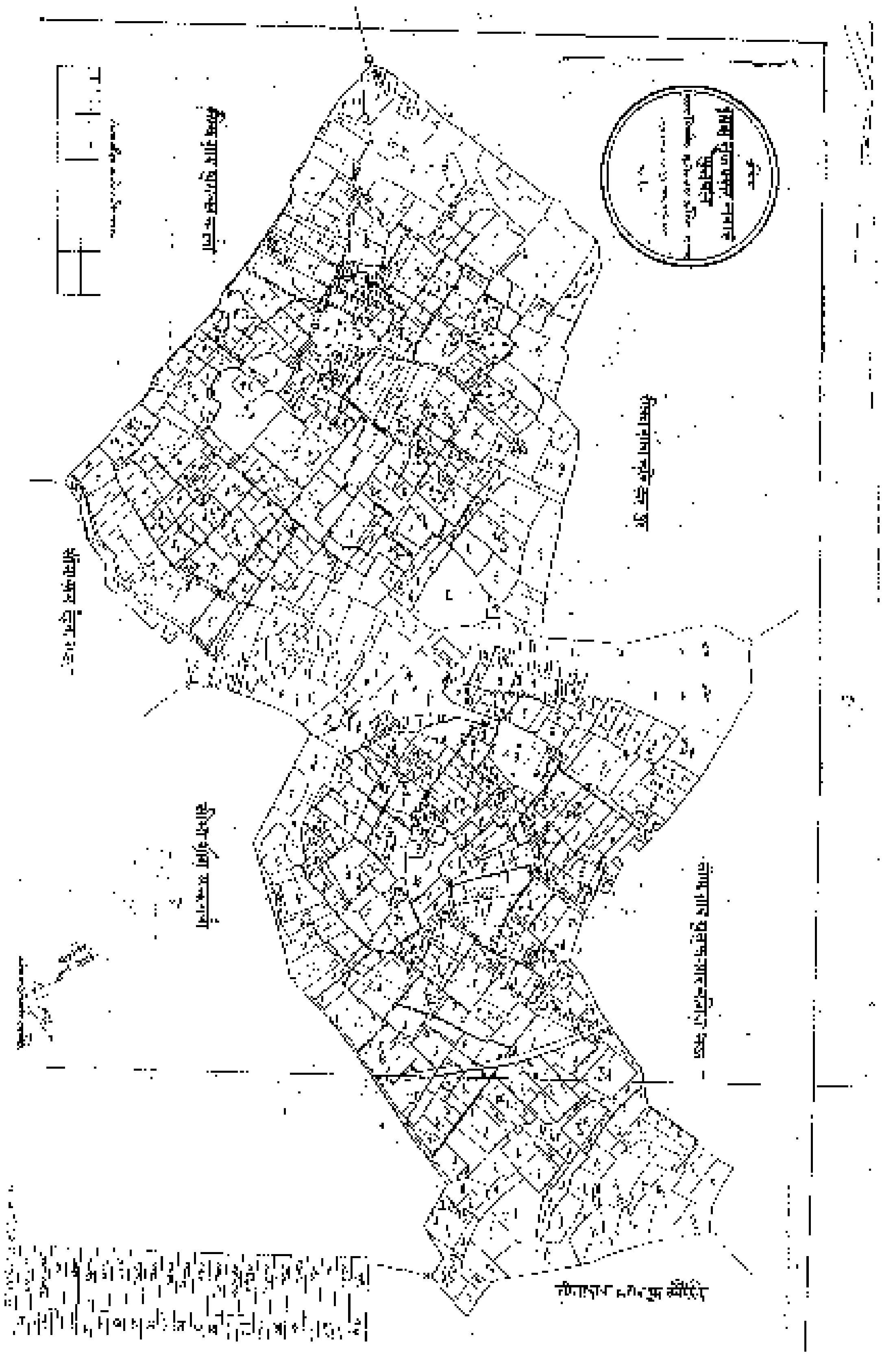

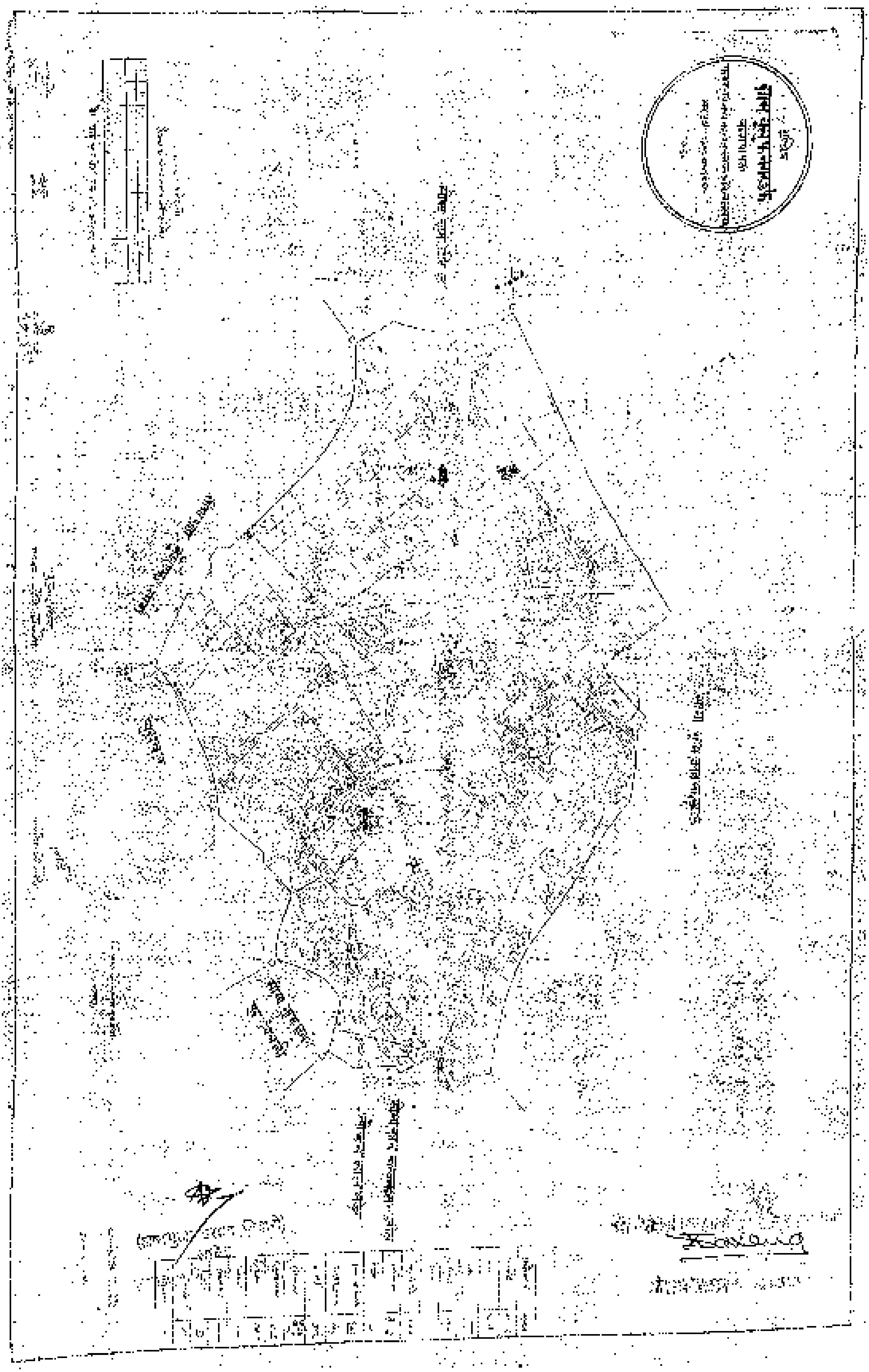

पट्टा विलेख 10000/- (उपदर्श) 10040/-

26,07,50,043/- 513,048.00 ~~20.00~~ 40 ~~60.00~~ 2,000

प्रतिफल मालियत औसत वार्षिक किराया फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री एल0 डि0 ए0 द्वारा नायब तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

पुत्र श्री आर0 एस0 कटियार

व्यवसाय नौकरी

निवासी स्थायी एल0 डि0 ए0 लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 31/7/2013 समय 3.18PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी0सी0 सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

31/7/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

[illegible]

पट्टा गृहीता

श्री एल0 डि0 ए0 द्वारा नायब तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

पुत्र श्री आर0 एस0 कटियार

पेशा नौकरी

निवासी एल0 डि0 ए0 लखनऊ

श्री मे0अन्सल प्रा0 ए0 इन्फ्रास, लि0 द्वारा सुशील कुमार सक्सेना

पुत्र श्री शिव गोपाल सक्सेना

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया

जिनकी पहचान श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र श्री स्व0 गंगापाल सिंह

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

व श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह

पुत्र श्री चन्द्र भान प्रताप सिंह

पेशा नौकरी

निवासी 13 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी0सी0 सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

31/7/2013

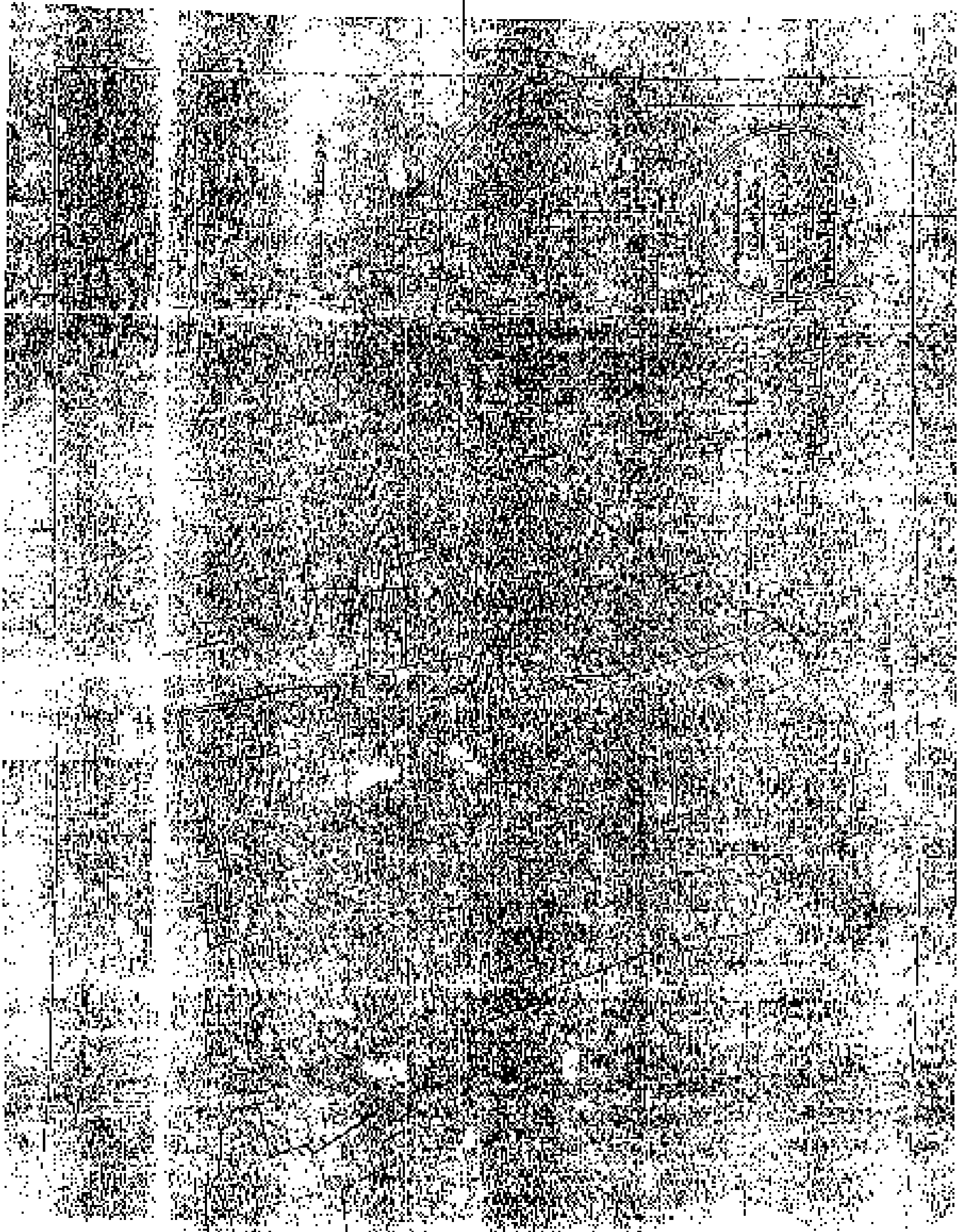

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

Authorised Signatory

पट्टा गृहीता

Registration No. : 14746 Year : 2,013 Book No. : 1

0201 मे0अन्सल प्रा0 ए0 इन्फ्रा0, लि0 द्वारा सुशील कुमार सक्सेना

पि0 [illegible] सक्सेना

1[illegible] [illegible]

[illegible]

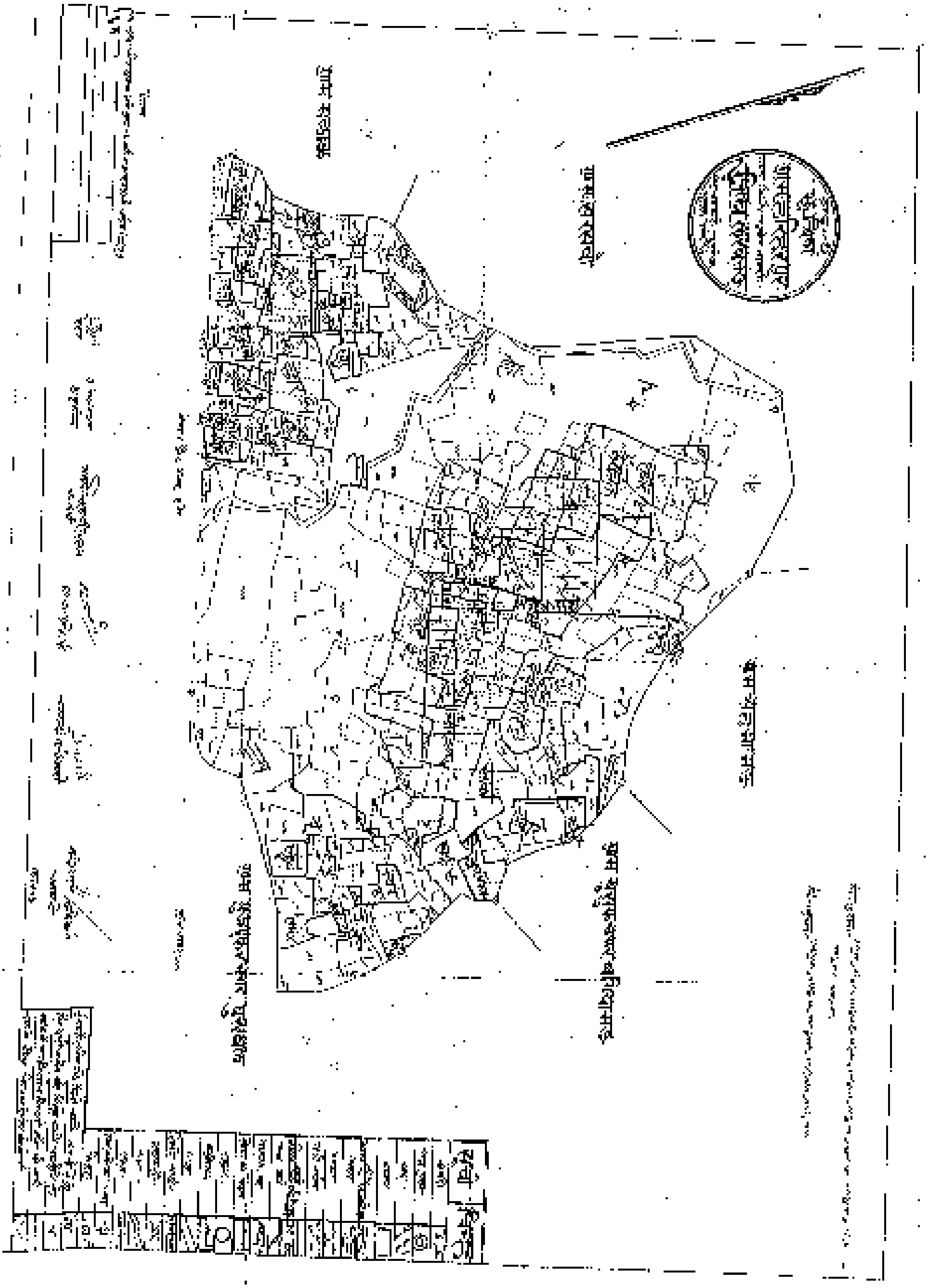

For Assar Properties & Infrastructure Ltd

Authorised Signatory

पट्टा दाता

Registration No.: 14746 Year: 2,013 Book No.: 1

0101 क0 नि0 प्रा0 द्वारा नायब तहसीलदार जितेन्द्र कटियार

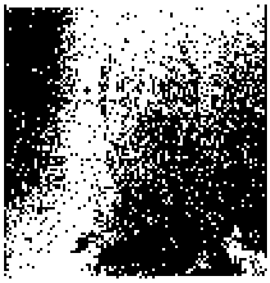

[illegible] कटियार

[illegible]

[illegible]

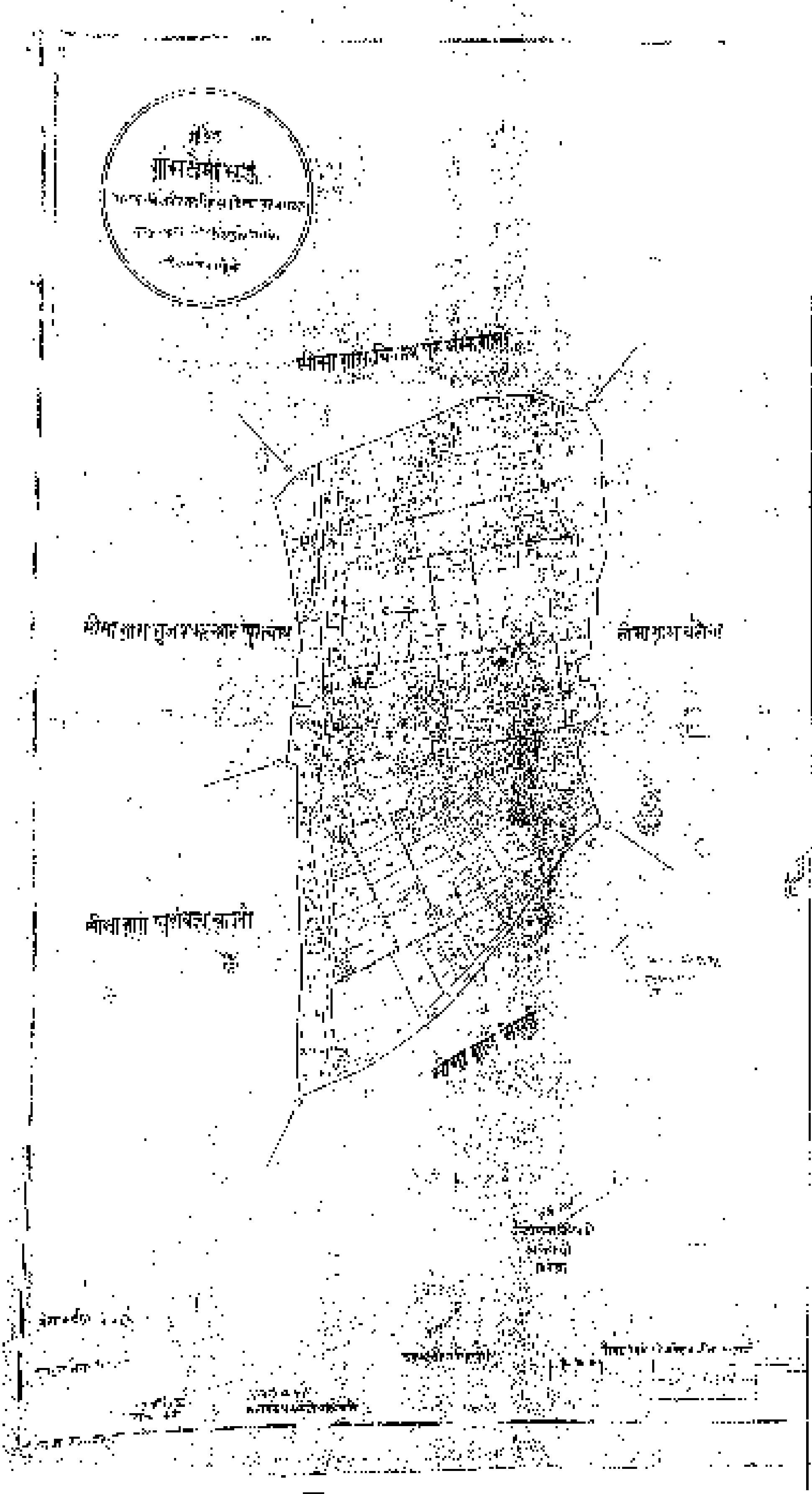

Authorised Signatory

आज दिनांक **31/07/2013** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **16077**

पृष्ठ सं. **67** से **112** पर क्रमांक **14746**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी0सी0 सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

31/7/2013